दिनांक 13.7.08 को संजय राठौर निवासी आगर की अज्ञात आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर एलमखेडी फंटा पर लाश फेंक दी। सूचना पर से मर्ग कायम कर थाना माकडोन द्वारा अपराध क्रमांक 195/08 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी शेरसिंह यादव, रितेश व पवन निवासी आगर शाजापुर को दिनांक 17.7.08 को गिरफ्तार किया जाकर इस अंधे कत्ल का पर्दाफास किया गया।